

✓  
नायब तहसीलदार/ नायब तहसीलदार, श्रीङ्गरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर..... 38...../2017 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

अनुवादन :- राज्य सरकार बनाम..... लालूराम.....

निर्णय

दिनांक :- 28.12.17

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ~~त्रिगाबापुरासख~~ अंतर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट. 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश कि गैर सायल ~~लालूराम~~ पुत्र/पत्नी श्री ~~सेगाराम~~ जाति ~~जाट~~ निवासी ~~अमृतवासी~~ द्वारा ग्राम ~~अमृतवासी~~ के आराजी खसरा नम्बर ~~25~~ तादादी ~~5.21~~ हैक्टर किस्म भूमि ~~जोड़पापतन~~ भूमि में से ~~3.50~~ (0.0350) हैक्टर/वर्गमीटर भूमि पर सम्बत् ~~2074~~ में नाजायज ~~बाड़ा बनाकर~~ अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।


प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत तामिल कराया गया। गैर सायल बावजूद विधिवत नोटिस तामिल के असालन व वकालतन उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरुद्ध दिनांक ~~12.12.17~~ को ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित बाबत कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर ~~बाड़ा बनाकर~~ अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व सम्बन्धित कोई सन्तोषजनक जवाब/सबूत प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल ~~लालूराम~~ का उक्त खसरा नम्बर ~~25~~ तादादी ~~5.21~~ हैक्टर ~~जोड़पापतन~~ भूमि में से ~~3.50~~ हैक्टर/वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। गैर सायल ~~लालूराम~~ अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः गैर सायल ~~लालूराम~~ पुत्र/पत्नी श्री ~~सेगाराम~~ जाति ~~जाट~~ निवासी ~~अमृतवासी~~ को ग्राम ~~अमृतवासी~~ के खसरा नम्बर ~~25~~ तादादी ~~5.21~~ हैक्टर गै.मु. ~~जोड़पापतन~~ भूमि में से ~~3.50~~ हैक्टर/वर्गमीटर भूमि का सम्बत् ~~2074~~ का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान ~~0.03~~ रुपये का 50 गुणा से ~~2.200~~ रुपये शास्ती आरोपित की जाती है।

तहसील राजस्वा लेखाकार का मांग कायमी, पटवारी हल्का का शास्ती राशि वसुली एवं हल्का भू-अभिलेख निरीक्षक को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक ~~28.12.17~~ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से क्रम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

  
तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
श्रीङ्गरगढ़ (बीकानेर)